न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2017-00259 Jodh 2017-008 Mohansingh etc Vs Smt Anachee etc

1. मोहनसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत
2. प्रेमकंवर पुत्री भूरसिंह जाति राजपूत
3. बिन्दु कंवर पुत्री भूरसिंह जाति राजपूत
4. बेबुकंवर पुत्री भूरसिंह जाति राजपूत
5. उगमों कंवर पत्नी भूरसिंह जाति राजपूत
   निवासीगण बडा कोटेचा, तहसील ओसियां
   जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. श्रीमती अणची पत्नी हेमाराम जाति जाट
2. भूरसिंह पुत्र बागसिंह जाति राजपूत
3. मांगूसिंह पुत्र बागसिंह के कायममुकामान--
   3.1. इन्द्रसिंह पुत्र मांगूसिंह जाति राजपूत
   3.2. देवीसिंह पुत्र मांगूसिंह जाति राजपूत
   3.3. रावलसिंह पुत्र मांगूसिंह जाति राजपूत
   3.4. श्रीमती फूलकंवर पत्नी मांगूसिंह जाति राजपूत
4. हमीरसिंह पुत्र बागसिंह जाति राजपूत
   सभी निवासीगण ग्राम बडा कोटेचा
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
5. राजस्थान राज्य
   जरिये तहसीलदार ओसियां
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां दिनांक 03 फरवरी 2017 राजस्व वाद संख्या 156/2011 मोहनसिंह व अन्य बनाम श्रीमती अणची इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री जेठूसिंह अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2
श्री आनन्दसिंह तंवर, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 3.1 से 3.4 तक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 20 अक्तूबर, 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 156/2011 मोहनसिंह व अन्य बनाम श्रीमती अणची इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 03 फरवरी 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 7 फरवरी 2017 को अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी खसरा संख्या 170 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 170/1 रकबा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 171 रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा, कुल रकबा 27 बीघा 09 बिस्वा वाके मौजा बडा कोटेचा, तहसील ओसियां के संबंध में एक राजस्व वाद उक्त आराजियात पुश्तैनी होने के आधार पर उसमें अपने 5/18वां हिस्से के संबंध में एक राजस्व वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं नाप व सीमांकन के आधार पर विभाजन हेतु पेश किया जाना जाहिर करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर मूल वाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थनापत्र संस्थित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया और अप्रार्थीगण-रेस्पो. को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र का जबाब पेश कर विरोध किया गया, अप्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या 2 से 5 की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र का कोई जबाब पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात उभयपक्षकारान की उक्त प्रार्थनापत्र बाबत सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 फरवरी 2017 को उक्त प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात अपीलाण्ट्स एवं रेस्पो. संख्या दो से चार के संयुक्त कब्जे-काश्त की पुश्तैनी भूमि है, जिसके संबंध में रेस्पो. संख्या दो का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है और इसी बात का अनुचित लाभ उठाते हुए रेस्पो. संख्या दो ने दिनांक 30 अक्तूबर 2011 को उक्त आराजियात रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में बेचान कर दिया। रेस्पो. संख्या दो के संयुक्त आराजियात में हक-हिस्से से अधिक भूमि का किया गया बेचान अपीलाण्ट्स के खिलाफ प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है। साथ ही उक्त भू-भाग विशेष का बेचान किये जाने के कारण भी बिना विधिवत बंटवारा कराये कोई अजनबी केता कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता है। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन कानूनी बिन्दुओं एवं प्रकरण की परिस्थितियों को नजरअदांज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12 अगस्त 2014 से ही रेस्पो. संख्या तीन के कायममुकामान को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत प्रार्थनापत्र लम्बित चला आ रहा था, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का विधिवत निस्तारण किये बिना सीधे ही वास्ते निर्णय मुकर्रर करते हुए दिनांक 03 फरवरी 2017 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो मृतक पक्षकार रेस्पो. संख्या तीन के खिलाफ पारित किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। समुचित साक्ष्य के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स ने अपना वाद साबित कर दिया था, मौके पर अपीलाण्ट्स का कब्जा एवं ढाणियॉ होना भी बखूबी साबित कर देने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण बहस में मुकर्रर किये बिना एवं बहस समायत किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये गये। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात बाबत राजस्व रिकार्ड में अपीलाण्ट्स रिकार्डेड खातेदार दर्ज नहीं है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार रेस्पो. संख्या 2 का वादग्रस्त आराजियात में ⅓ हक-हिस्सा है, अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग करते हुए रेस्पो. संख्या 2 ने वादग्रस्त आराजियात में अपने हिस्से में से 5 बीघा 05 बिस्वा भूमि का बेचान जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 25 अक्तूबर 2011 को रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में कर दिया। उक्त पंजीबद्ध विक्रय विलेख पर बतौर साक्षी अपीलाण्ट संख्या एक के हस्ताक्षर भी है। रेस्पो. संख्या दो अभी जीवित है और पुश्तैनी भूमि में उसके जीवनकाल में उसके पुत्र-पुत्रियॉं एवं पत्नी (अपीलाण्ट्स संख्या एक से चार व पांच) किसी प्रकार के हिस्से की मांग करने के मुश्तहक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अतः सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। रेस्पो. संख्या दो द्वारा रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 25 अक्तूबर 2011 का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि उक्त विक्रय विलेख के जरिये खसरा संख्या 170 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा में अपना ⅓ हिस्सा होना जाहिर करते हुए रेस्पो. संख्या दो द्वारा 5 बीघा 5 बिस्वा क्षेत्रफल वाले भू-भाग विशेष का बेचान रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में किया जाकर भौतिक कब्जा भी केता को सुपुर्द कर दिया जाना उक्त दस्तावेज के पेज संख्या तीन पर अंकित है। विक्रय विलेख के अंतिम पेज संख्या चार पर बतौर साक्षी मोहनसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

(अपीलाण्ट संख्या एक) के हस्ताक्षर भी है। उक्त बेचाननामा के अस्तित्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। साथ ही वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होने बाबत दोनों पक्षों में कोई मतभेद होना प्रकट नहीं होता है। पुश्तैनी सम्पत्ति के संबंध में भारतीय हिन्दू विधि के अनुसार एक हिन्दू व्यक्ति की पुश्तैनी भूमि बाबत उसके पुत्र एवं पुत्रियों को जन्म से ही अधिकार अर्जित हो जाते है। ऐसी स्थिति में रेस्पो. संख्या दो द्वारा वादग्रस्त पुश्तैनी आराजियात में अपने "नोशनल शेयर" से अधिक भू-भाग का बेचान कर दिया जाता है तो निश्चय ही अपीलाण्ट्स को अपूरणीय क्षति एवं गम्भीर असुविधा होने की प्रबल सम्भावना नजर आती है। साथ ही पक्षकारान के मध्य अनावश्यक वादकरण उत्पन्न होने के भी पूर्ण आसार प्रकट है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 156/2011 मोहनसिंह व अन्य बनाम श्रीमती अणची इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 03 फरवरी 2017 अपास्त करते हुए वादग्रस्त आराजियात बाबत उभयपक्षकारान को यह निर्णय पारित किये जाने की दिनांक को राजस्व रिकार्ड एवं मौके की जो स्थिति है, उसे ताफैसला मूल वाद यथावत कायम रखने एवं वादग्रस्त आराजियात अथवा उसके किसी भू-भाग का बेचान अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर